संख्या–122 USDMA-800(2020)

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू0एस0डी0एम0ए0 देहरादूनः दिनांक 08 मई, 2020

विषयः तालाबन्दी की अवधि में खन्न कार्य व प्रकाष्ठ के लाटों की नीलामी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 03.05.20 के पश्चात् lockdown को दो सप्ताह बढ़ाते हुए अपने आदेश सं0 40–3/2020–DM–I(A) दिनांक 01.05.20 के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु नवीन मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं। कृपया इन दिशा–निर्देशों के अधीन रहते हुए वन क्षेत्राधीन नदियों पट्टों से खनन कार्य तथा वन निगम के प्रकाष्ठ के लाटों की नीलामी प्रारंभ की जा चुकी है।

अतः आप से अपेक्षा है कि आर्थिक गतिविधियों के सम्पादन में आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए उपखनिजों/काष्ठ के निकासी गेटों पर यथा आवश्यकता पी0आर0डी0 व होमगार्ड की तैनाती भी करने का कष्ट करें ताकि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानको व सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन एवं इन कार्यों का सुचारू सम्पादन सुनिश्चित हो सके।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, गोपन (मंत्रीपरिषद), विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
6. स्टॉक आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. संबंधित पत्रावली।

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव